बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक : वि॰प्रा॰(III) ब[3]–14/2016– /पटना, दिनांक :

प्रेषक,

अतुल सिन्हा,
निदेशक,

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय महिला पोलिटेकनिक, पटना

विषय : वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजना (योजना) बजट के ''मुख्यशीर्ष–2203– तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष– 00, लघु शीर्ष– 105–बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय, मांग संख्या–43, उपशीर्ष– 0106–प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम'' विपत्र कोड–पी 2203001050106 के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–514, दिनांक 28.02.2017 सहपठित प्रतिस्थानी आदेश दिनांक 15.03.2017 के द्वारा एम॰जे॰सी॰ संख्या–1438/2015, शिवशंकर प्रसाद सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में निर्गत अधिसूचना संख्या–392, दिनांक 16.02.2017 के आलोक विभागान्तर्गत राजकीय महिला पोलिटेकनिक, पटना में संचालित नया डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की योजनान्तर्गत सृजित पद पर कार्यरत श्री सुशील कुमार मिश्र, व्याख्याता (वरीय वेतनमान) को दिनांक 01.01.2000 के प्रभाव से व्याख्याता (प्रवर कोटि) में प्रोन्नति के फलस्वरूप उनके बकाये वेतन एवं भत्ते के भुगतानार्थ रू॰ 46,00,000=00 (छियालीस लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2016–17 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन वेतन एवं भत्ते विषयशीर्षों में उपबंधित राशि से रू॰ 46,00,000=00 (छियालीस लाख रूपये) मात्र का आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है–

क्रम	विषयशीर्ष	आवंटित राशि (रूपये में)
1.	01 01 वेतन	24,00,000
2.	01 03 जीवन यापन भत्ता	21,00,000
3.	01 04 मकान किराया भत्ता	1,00,000
	योगः वेतन एवं भत्ते	**46,00,000**

(क)

(क) छियालीस लाख रूपये मात्र।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक–4572, दिनांक 03.06.2016 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा–निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रुप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे विषयशीर्षो में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय।

4. विभिन्न विषयशीर्षो मे राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर समुचित आयोजना भिन्न, कोड संख्या सहित शीर्षों का नाम, मॉग संख्या, विपत्र कोड तथा कुट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश तथा विपत्रों में कोड संख्या अनिवार्य रुप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग के पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/वि. दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा–निर्देश का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

6. व्यय विवरणी टी.भी. नं. एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 7(सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से को उपलब्ध करायेगें।

7. इस संबंध में पूर्व में निर्गत आवंटनादेश संख्या–146(आ), दिनांक 06.03.2017 को विलोपित किया जाता है।

8. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/ –
(अतुल सिन्हा)
निदेशक

ज्ञापांक : वि०प्रा०(III) ब^3–14/2016– /पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
निदेशक

ज्ञापांक : वि०प्रा०(III) ब^3–14/2016– /पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
निदेशक

ज्ञापांक : वि०प्रा०(III) ब^3–14/2016– 168(आ)/पटना, दिनांक : 16-3-017

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/योजना सहायक/ आई०टी० मैनेजर (ई–मेल एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) /एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.03.17
निदेशक